अनुदान संख्या 90 – दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
GRANT No. 90 - DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1031,52,00	1049,27,00	996,81,07	-52,45,93
पूरक	Supplementary	17,75,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				52,45,97
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		38,48,00	20,75,00	-17,73,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				17,73,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹5245.93 लाख) दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त की गई ₹1775.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹5245.97 लाख) कुल बचतों से भी अधिक हो गईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹5245.93 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1775.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹5245.97 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	84937.00			
पू.	S.	1774.00	87039.51	87039.53	+0.02
पु.	R.	328.51			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	8288.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-8289.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7724.00	10714.05	10714.05	..
पु.	R.	2990.05			

(I) ₹8291.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7709.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2552" – "समाज कल्याण – विकलांगों का कल्याण" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹8291.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹7709.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped" - under the following heads:-

(का) "सहायक सामग्री और उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता" – ₹2300.00 लाख;

(A) "Assistance to Disabled Persons for purchase / fittings of Aids and Appliances"- ₹2300.00 lakhs;

(खा) "निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, के लिए कार्यान्वयन के लिए स्कीमें" – ₹3151.00 लाख;

(गा) "दीनदयाल निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास स्कीम" – ₹700.00 लाख;

(घा) "राष्ट्रीय संस्थानों को निधीयन संबंधी स्कीम" – ₹800.50 लाख; (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ङ) "दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹757.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत प्राप्त किए गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दर्शाए गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(का) "दिव्यांगजन का कल्याण – अन्य स्कीम" – ₹38707.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹39007.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2656.47 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों/आवेदनों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – समाज कल्याण – विकलांग का कल्याण" – ₹10219.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹278.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10497.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹760.89 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(B) "Schemes for Implementation for Persons with Disabilities Act"- ₹3151.00 lakhs;

(C) "Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme" - ₹700.00 lakhs;

(D) "Scheme for Funding to National Institutes"- ₹800.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh); and

(E) "Scholarship for Students with Disabilities"- ₹757.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh).

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2235" - "Social Welfare" - remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(A) "Welfare of Handicapped - Other Schemes" - the original provision of ₹38707.00 lakhs was augmented to ₹39007.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹300.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2656.47 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less proposals/applications from the implementing agencies.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare - Welfare of Handicapped" - the original provision of ₹10219.00 lakhs was augmented to ₹10497.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹278.00 lakhs. However, there was a saving of ₹760.89 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of adequate proposals from the implementing agencies.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण–अन्य कार्यक्रम – सूचना एवं जनशिक्षा प्रकोष्ठ" – ₹2018.66 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन एवं प्रचार गतिविधियों को न किए जाने और मितव्ययिता के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Other Programmes- Information and Mass Education Cell" - saving of ₹2018.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-taking up of advertising and publicity activities and austerity measures.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹591.72 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 49 प्रतिशत तक थी।

(IV) Under two heads savings of ₹591.72 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 12 percent and 49 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹6027.33 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत ₹1775.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹6027.33 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1775.00 lakhs under Major Head "2235" - "Social Welfare" - under the following heads:-

(का) "दिव्यांगजनों का कल्याण" –

(क) "नेत्रहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंद एवं अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का विस्तार एवं सुधार" – ₹2432.41 लाख।

(ख) "दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹3247.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3247.01 लाख था।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹347.92 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹347.93 लाख था।

(A) "Welfare of Handicapped"-

(a) "Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped"- ₹2432.41 lakhs.

(b) "Scholarship for Students with Disabilities" - ₹3247.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3247.01 lakhs.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scholarship for Students with Disabilities" - ₹347.92 lakhs. Actual excess, however, was ₹347.93 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – दिव्यांगजनों के लिए स्कीम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹2551.74 लाख का अधिक व्यय (₹5724.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुलभ भारत अभियान के अंतर्गत पहचान किए गए शहरों में बैरियर फ्री भवनों के लिए रेट्रोफिटिंग कार्य के लिए राज्य सरकारों से अधिक प्रस्तावों की

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Scheme for differently abled Persons" - excess of ₹2551.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5724.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from the State Governments towards retrofitting work for barrier

प्राप्ति होने एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

free buildings in identified cities under Accessible India campaign and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹438.31 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹438.31 lakhs occurred constituting 37 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:—

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	3463.00	2075.00	2075.00	..
पु.	R.	-1388.00			

(I) ₹385.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹385.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) "समाज कल्याण — सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में निवेश — राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम" के अंतर्गत — ₹966.00 लाख की बचत (₹2495.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को इक्विटी सहायता संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under "Social Welfare - Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Handicapped Finance and Development Corporation" - saving of ₹966.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2495.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards equity support to National Handicapped Finance and Development Corporation.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹278.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹278.00 lakhs occurred constituting 44 percent of the sanctioned provision.